



E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/1189 / छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 10/06/2020

प्रति,

सहायक संचालक,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- पिछड़ा वर्ग नवीन छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति/वितरण वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग नवीन 25 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- पिछड़ा वर्ग नवीन- स्वीकृति आदेश क्रं/पी.एम.एस/ओबीसी/1246393,
दिनांक 01.06.2020।

1. NEW - 06
2. NEW - 191
3. RENEWAL - 19
4. RENEWAL - 07
5. RENEWAL - 40


ole

डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन

07282-241562



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

खरगोन , दिनांक :-01/06/2020

No / PMS / OBC / 1246393/

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Govt P G College Khargone

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 25

कुल राशि (रुपये में)

:- 275043

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।


किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean
Govt P G College Khargone, जिला :- खरगोन
प्र. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन

This sanction is generated by MP Scholarship Portal. Printed on:-01/06/2020
07202-241562



खरगोन , दिनांक :-01/06/2020

प्र.क्रमांक/पिछडावर्ग/पी.एम.एस/ 1246393

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र., द्वितीय तल, खंड -घ, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक, जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ।
4. महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।


Prinicipal / Director / Dean
पाचार्य
Govt P G College Khargone, जिला :- खरगोन
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562



E-mail:- hepgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1190 / छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 10/06/2020

प्रति,

सहायक संचालक,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- पिछड़ा वर्ग नवीनीकरण छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति/वितरण वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग नवीनीकरण 19 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- पिछड़ा वर्ग नवीनीकरण- स्वीकृति आदेश क्रं/पी.एम.एस/ओबीसी/1246437,
दिनांक 01.06.2020।

डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य
शासक स्नातक महाविद्यालय खरगोन
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

011



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1246437/

खरगोन , दिनांक :-01/06/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Govt P G College Khargone

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 19

कुल राशि (रुपये में)

:- 245611

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेष्टित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Principal / Director / Dean

Govt P G College Khargone, जिला :- खरगोन

शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन

This Sanction is generated by MP Scholarship Portal. Printed on:-01/06/2020
07282-241562



प्र.क्रमांक/पिछड़ावर्ग/पी.एम.एस/ 1246437

खरगोन , दिनांक :-01/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र., द्वितीय तल, खंड -घ, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक, जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ।
4. महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।


Prinicipal / Director / Dean
पाचार्य
Govt P G College Khargone, जिला :- खरगोन
शा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562



E-mail:- hegpgckhr@ mp.gov.in
Phone No.:- +91-7282-241562
Fax No.:- +91-7282-2419 63

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

क्रमांक/ 1380 / छात्रवृत्ति/2020

दिनांक 13/7/2020

प्रति,

सहायक संचालक,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- पिछड़ा वर्ग नवीन छात्र/छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति/वितरण वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भानुसार लेख है कि, सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग नवीन 01 छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- पिछड़ा वर्ग नवीन- स्वीकृति आदेश क्र/पी.एम.एस/ओबीसी/1255365,
दिनांक 09.07.2020।

o/c

डॉ. आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन

खरगोन

07282-241562

Received
M. Munari
6.10.8/20

Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1255365/

खरगोन , दिनांक :-09/07/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Govt P G College Khargone

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राशि (रुपये में)

:- 6075

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Principal / Director / Dean

Govt P G College Khargone, जिला :- खरगोन



प्र.क्रमांक/पिछडावर्ग/पी.एम.एस/ 1255365

खरगोन , दिनांक :-09/07/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र., द्वितीय तल, खंड -घ, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ ।
3. सहायक संचालक, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक, जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।


Principal / Director / Dean
शा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
Govt P G College Khargone, जिला :- खरगोन
07282-241562

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक: / 2039 / छात्रवृत्ति/20

खरगोन दिनांक 16.10.2019

प्रति,

सहायक संचालक,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
खरगोन, जिला-खरगोन (म.प्र.)

विषय:- पिछड़ा वर्ग के नवीन/नवीनीकरण छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति /वितरण वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, इस महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग के नवीन/नवीनीकरण छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:-1. पिछड़ा वर्ग नवीनीकरण-स्वीकृति आदेश क्रं./पी.एम.एस/ओबीसी/1266447
दिनांक 12.09.2020

डॉ.आर.एस. देवड़ा

प्राचार्य

शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन

खरगोन

07282-241562



Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1266447/

खरगोन , दिनांक :-12/09/2020

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (**SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC)**)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संग्रहन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Govt P G College Khargone

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- Renewal Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राशि (रुपये में)

:- 6765

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके ।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी ।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा । जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संग्रहन : उपरोक्तानुसार सूची ।

Principal / Director / Dean
Govt P G College Khargone, जिला :- खरगोन

शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

खरगोन

07282-241562

This Sanction is generated by MP Scholarship Portal. Printed on:-06/10/2020



प्र.क्रमांक/पिछडावर्ग/पी.एम.एस/ 1266447

खरगोन , दिनांक :-12/09/2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र., द्वितीय तल, खंड -घ, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक, जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ।
4. महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

Principal / Director / Dean
Govt P G College Khargone, जिला खरगोन
प्रिन्सिपल
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खरगोन
07282-241562

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी)महाविद्यालय खरगोन(म.प्र.)

क्रमांक:/ 129 /छात्रवृत्ति/20

खरगोन दिनांक 21.01.2021

प्रति,

सहायक संचालक,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
खरगोन, जिला-खरगोन (म.प्र.)

विषय:- पिछड़ा वर्ग के नवीन/नवीनीकरण छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति /वितरण वर्ष 2019-20।

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि, इस महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में नियमित रूप से अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग के नवीन/नवीनीकरण छात्र-छात्राओं की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:-1. पिछड़ा वर्ग नवीन -स्वीकृति आदेश क्र./पी.एम.एस/ओबीसी/1278418
दिनांक 21.01.2021

डॉ.आर.एस. देवड़ा

प्रिंसिपल

शास. ज्ञान महाविद्यालय खरगोन
Govt. P. G. College, Khargone
072-241562

Sanction Order for Post Matric Scholarship (OBC)

No / PMS / OBC / 1278418/

खरगोन, दिनांक :-21/01/2021

विषय :- पोस्टमैट्रिक पिछड़ावर्ग छात्रवृत्ति के मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (SCHOLARSHIP SANCTION ORDER for Post Matric Scholarship (OBC))

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम के प्रावधानों एवं संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संगलन सूची अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान, कार्यालय, सहायक संचालक द्वारा विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति की जानकारी संस्था प्राचार्य/ प्रमुख से प्राप्त होने पर कोषालय के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे बैंक एकल खाते में ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

शैक्षणिक सत्र:- 2019-20

संस्थान:- Govt P G College Khargone

वर्ग :- OBC

स्वीकृति प्रकार:- New Cases

कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या :- 1

कुल राशि (रुपये में)

:- 5161

संस्था द्वारा आदेश में सम्मिलित सभी छात्रों की उपस्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत करना अनिवार्य है उसके बाद ही स्वीकृत राशि को संस्था एवं छात्र/छात्राओं के scholarship portal पर पंजीकृत बैंक खातों में सीधे स्थानंतरित किया जावेगा. संस्था द्वारा पढाई छोड़ चुके एवं 75 % से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की जानकारी पोर्टल पर पंजीकृत पंजीकृत की जावेगी जिससे उन छात्रों का छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोका जा सके।

यह स्वीकृति छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय/छात्रावास में नियमित उपस्थित रहने, संतोषप्रद अध्ययन और संस्था में अनुशासित रहने के आधार पर ही स्वीकृत की गई है। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह स्वीकृति रद्द की जावेगी।

किसी भी छात्र/छात्राओं को दोहरी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, उससे पूर्व उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची विद्यार्थी द्वारा जमा करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के संबंध में और धंधा/व्यवसाय की जानकारी सत्यापित कर लें ताकि प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं द्वारा दी गई जानकारी और छात्रवृत्ति के आवेदन के समय दी गई जानकारी में कोई अंतर तो नहीं है। मैनेजमेंट कोट से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। पात्र छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति दी जावेगी अन्यथा प्राचार्य/लिपिक एवं छात्र/छात्रा समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

संगलन : उपरोक्तानुसार सूची।

Principal / Director / Dean
Govt P G College Khargone
0722-241562



प्र.क्रमांक/पिछडावर्ग/पी.एम.एस/ 1278418

खरगोन , दिनांक :-21/01/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र., द्वितीय तल, खड -घ, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ ।
3. सहायक संचालक, पिछडावर्ग तथा अल्पसंख्यक, जिला:-खरगोन की ओर सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।


Principal / Principal / Dean
Govt P G College Khargone, जिला :- खरगोन
0722-241562